पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने दस्तावेज की सूची के साथ दस्तावेज पेश किये। वहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षों की सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 22.02.2021 को पेश हो।

वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। दौराने वहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया ने कथन किया कि विवादित आराजी ग्राम गणेश्वर के ख.न. 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 208, 209 में प्रार्थीया 1/16 हिस्सा, ख.न. 210, 710 में प्रार्थीया 1/12 हिस्सा की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण 1 ता 12 सभी पक्षकारान सह खातेदारान है। विभाजन के लिये मेरा दावा है। प्रत्येक सह खातेदार विभाजन से पूर्व प्रत्येक हिस्से पर अधिकार रखता है। अप्रार्थी सं 2 किशन लाल विक्रेता है तथा अप्रार्थी सं. 10 ,11 रामलाल व भगवान क्रेतागण है। प्रकरण में दिनांक 14.10.2020 को एक पक्षिय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया गया कि विवादित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य व किसी विशिष्ट भू–भाग का बेचान नही करें लेकिन दिनांक 30.12.2020 को आर्डर 39 रूल 3 की पालना नही होने का हवाला देते हुये स्टे अप्रार्थी सं. 9 व 10 के विरूद्व नही बढाया गया इसलिये फाईनल बहस करनी पड़ी। अप्रार्थी सं. 1, 3 से 7, 9, 12 वकील गंगारामजी के क्लाईन्ट भी यही चाहते है कि जब तक विभाजन नही हो तब तक टी. आई जारी रहे। अप्रार्थीगण बिना विभाजन करवाये विशेष भू– भाग पर कब्जा कर निर्माण करने पर आमादा है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने RRT 2011–12(supp.) पेज 662, RRT 2010(1) पेज 221, RLW 2012(1) Rj पेज 406,WLC (राज.) पेज 129, RLW 2014 पेज 1561 पेश कर निवेदन किया कि उक्त नजीरे मेरे प्रकरण पर पूर्णत्या चश्पा होती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 2, 8, 10,11 ने कथन किया कि विवादित भूमियों का कई वर्षो पूर्व ही तत्कालीन खातेदारान ने मौके पर मौखिक रूप से कर लिया था तथा विभाजन अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। लिखित विभाजन की भी साक्ष्य है। लिखावट दिनांक 26.6.2009 बहिनों की रजामंदी से हुई है जिससे भी पक्षकारान के [illegible] में विभाजन होना सिद्व है। अप्रार्थी सं. 10 11 ने भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र [illegible] की है। रजिस्ट्री के पेज नं. 3 में विक्रय भूमि की साईड खाली गई है। रजिस्ट्री चैलेन्ज नही [illegible] प्रार्थी की सहमति से ही रजिस्ट्री हुई है। विवाद से पूर्व ही रजिस्ट्री हो चुकी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:06:21 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रूलिंग प्रकरण में चश्पा नही है। सैलडीड में कब्जा दे दिया गया है। पूर्व आदेश की आज आवश्यक्ता नही है। दिनांक 30.12.2020 के आदेश की रिविजन/अपील नही की। पडोसियों के शपथ पत्र पेश किये है सैलडीड आज भी वेलीड है। अतः गलत तथ्य अंकित कर प्रार्थन पत्र टी.आई प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1, 3 ता 7, 9, 12 का कथन है कि अप्रार्थी सं. 2,8,10,11 विवादित भूमि का बिना विभाजन करवाये मौके पर तामीर कार्य करने पर आमादा है जिससे हम भी प्रभावित है। अतः सह खातेदारो के हितों की सुरक्षार्थ टी.आई स्वीकार की जावें।

रिपिटल बहस में वकील प्रार्थीया ने कथंन किया कि खातेदारान के मध्य बाह्मी विभाजन होकर खसरा नम्बरान का अंकन हो ऐसी कोई लिखावट नही है। दिनांक 30.12.2020 के आदेश के बाद पत्रावली में तामिल हुई है एवं जबाब आया है। दिनांक 30.12.2020 का interim order था जो अपील योग्य नही है। सैलडीड में बटवारे का कोई उल्लेख नही है। अतः प्रार्थना पत्र टी.आई स्वीकार किया जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अधोपान्त अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को देखना होता है कि क्या प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टवा मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु बनते है अथवा नहीं । प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त के प्रकाश में प्रत्येक बिन्दु पर मेरा विवेचन निम्नानुसार है :–

1.प्रथम दृष्टया मामलाः–

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वंत 2075 से 2078 ग्राम गणेश्वर के अवलोकन से पाया गया कि विवादित आराजी ख.न. 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 208, 209 में प्रार्थीया 1/16 हिस्सा, ख.न. 210, 710 में प्रार्थीया 1/12 हिस्सा की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी सं. 10 11 ने भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र [illegible] की है। एवं शेष अप्रार्थीगण भी विवादित आराजी के सह खातेदार दर्ज रिकार्ड है अर्थात विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की दर्ज रिकार्ड है जिसका पक्षकारान/खातेदारान के मध्य विधिवत विभाजन नही हुआ है। अप्रार्थी सं. 10,11 अजनबी केता है उन्हे बिना विभाजन करवाये शामलाती खाते की भूमि में प्रवेश करने का कानूनन अधिकार नही है यदि प्रवेश कर भी लिया है तो वह काबिज नही रह सकता ना ही उसे वि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:06:21 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

भू–भाग पर कब्जा करने एवं निर्माण करने का कोई कानूनन अधिकार है। जहां तक अप्रार्थी सं. 2 द्वारा भूमि के बेचान का प्रश्न है इस सम्बंध में मेरी राय है कि एक खातेदार अपने हिस्से का तो बेचान कर सकता है किन्तु बिना विधिवत विभाजन के किसी विशेष भू– भाग का बेचान नही कर सकता। अप्रार्थी सं. 1, 3 ता 7, 9, 12 ने भी अपने हितो की सुरक्षार्थ प्रार्थीया के कथनों की ताईद करते हुये टी.आई. स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है। अप्रार्थी सं. 2, 8, 10 व 11 जो पूर्व में हुये बटवारे बाबत लिखावट बता रहे है। उस लिखावट में कोई खसरा नम्बरान अंकित नही है, फिर भी उस लिखावट से अप्रार्थीगण को क्या हक हकुक प्राप्त होते है यह तो बाद ऐविडेन्स मूल वाद में ही तैय होगा। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में चस्पा होते है। अतः प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष मे बनना पाया जाता है।

2.सुविधा का सन्तुलनः–

जहां तक इस बिन्दु का प्रश्न है, प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने की दशा में अप्रार्थीगण से अधिक असुविधा प्रार्थीया को होगी। क्योकि प्रार्थीया वर्तमान में विवादित आराजी का रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है तथा खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। यदि अजनबी क्रेता द्वारा भूमि के विशेष भू–भाग पर कब्जा कर निर्माण कर लिया जाता है तो प्रार्थीया को असुविधा होना लाजमी है। फिर भी यदि अप्रार्थी सं. 10 व 11 खातेदारान के मध्य पूर्व में विधिवत विभाजन होना मूल वाद में साबिति करने में सफल हो जाते है, तो विवादित आराजी का स्वमेव स्वामित्व एवं आधिपत्य होगा, परन्तु प्रकरण की इस स्टेज पर सुविधा के सन्तुलन का बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में प्रमाणित होना पाया जाता है।

3.अपूरणीय क्षतिः–

जहां तक अपूरणीय क्षति का प्रश्न है,प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की दशा में अप्रार्थीगण को कोई विधिक हानि नहीं होकर किसी अपूरणीय क्षति के कारित होने की सम्भावना नहीं है, क्योंकि अप्रार्थीगण [illegible] अजनबी केता है। प्रार्थीया काबिज खातेदार काश्तकार है भूमि उनके [illegible] मे है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के बजाए प्रार्थीया व अन्य [illegible] होने की अधिक संभावना है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थीया प्रमाणित [illegible] मे सफल रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:06:21 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियो, प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात, न्यायिक दृष्टान्त तथा दोराने सुनवाई विद्वान

(हस्ताक्षर) ---4---

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क–वितर्कों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के लिए साबित करने में सफल रही है। फलतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार्य है।

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा द्वारा पूर्व में दिनांक 14.10.2020 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा तारीख वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के सलग्न हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:06:21 IST
Reason: SelfAttested